फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर

जगदीश वगै0 बनाम सरकार वगै0

कदमा संख्या : 370/2024

क्रमांक	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	02.06.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील प्रार्थी की बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि नवीन खसरा नम्बर 263 रकबा 1.6818है0 ग्राम नांगलबेला तहसील आंधी जिला जयपुर मे स्थित है जिस पर प्रार्थीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा वर्तमान में भी काबिज है तथा काश्त कर रहे है। सेटलमेंट के दौरान उक्त भमि नवीन नक्शा कायम किया गया है वह सही था परन्तु पटवारी हल्का व गिरदावर ने उक्त नक्शें मे लाल स्याही से लाईने खिच कर नक्शें को प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व मौका स्थिति के विपरित कर दिया गया। प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में उक्त खसरा नम्बर को दुरूस्त करवाने हेतु एक वाद उनवानी जगदीश बनाम सरकार के नाम पेश किया था जिसमें पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट पेश क गई थी जिसमे साफ तौर पर लिखा हुआ है कि भूमि खसरा नम्बर 258/2 की दक्षिणी सीमा भी मुताबिक मिलान क्षेत्रफल खसरा नम्बर 263 का ही भाग है। अतः प्रार्थीगण की भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 263 रकबा 1.6818है0 स्थित ग्राम नांगलबेला तहसील आंधी जिला जयपुर का कब्जे काश्त के विपरित जाकर बनाये गये नवीन नक्शे को पटवारी हल्का का रिपोर्ट अनुसार दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किया जावें। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं जवाब पैरोकार सरकार तथा अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जवाब पैरोकार सरकार (तहसीलदार) ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया कि हाल खसरा नम्बर 263 रकबा 1.6818है0 साबिक एकीकरण खसरा नम्बर 513 मि0 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 510 मि0 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, 475 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, 476 रकबा 10 बिस्वा से मिलकर बना है। खसरा नम्बर 263 की रकबा बरारी करने पर खसरा 258/2 की दक्षिणी सीमा मुताबिक मिलान क्षेत्रफल खसरा नम्बर 263 का ही भाग है। जिसका रकबा 0.12है0 आता है। खसरा नम्बर 263 तथा 258/2 के मध्य खसरा नम्बर 259 किस्म गै0मु0नहर स्थित होने के कारण इसे खसरा नम्बर 263 में मिलाया जाना संभव नही है। अतः पत्रावली का अवलोकन करने व बहस का मनन करने पर पाया कि पत्रावली में प्रकरण धारा 131, 132, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का नही बनाता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा वाद प्रस्तुत कर ही अनुतोष प्राप्त करना चाहिए। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को खारिज किया जाता है। निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफतर हों। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला–जयपुर	